

**प्रेस नोट दिनांक 25.11.2025**

**प्रेस नोट दिनांक 25.11.2025**

**थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़**

थाना बाघराय पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 5000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष श्रवण कुमार मय हमराह का० परविन्द कुमार, का० गौरव, चालक हे०का० राजाराम सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 109/25 धारा 2/3 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट थाना बाघराय से संबंधित 5000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त रितिक पाण्डेय उर्फ पुष्पांकर पाण्डेय पुत्र राघवेन्द्र पाण्डेय उम्र करीब 25 वर्ष नि० छत्ता का पुरवा झींगुर थाना महेशगंज प्रतापगढ़ को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत भैसासुर मंदिर वहद ग्राम बारौ के पास पुलिया से गिरफ्तार किया गया ।

**इनामिया अभियुक्त का विवरण-**

रितिक पाण्डेय उर्फ पुष्पांकर पाण्डेय पुत्र राघवेन्द्र पाण्डेय नि० छत्ता का पुरवा झींगुर थाना महेशगंज प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष ।

इनामिया अभियुक्त रितिक पाण्डेय उर्फ पुष्पांकर पाण्डेय पुत्र राघवेन्द्र पाण्डेय नि० छत्ता का पुरवा झींगुर थाना महेशगंज प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1- मु०अ०सं० 99/17, धारा 380 भादवि, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

2- मु०अ०सं० 122/18, धारा 457/380/411 भादवि, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

3- मु0अ0सं0 176/22, धारा 411/413 भादवि, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

4- मु0अ0सं0 255/22, धारा 457/3802/411 भादवि, थाना कुंडा, जनपद प्रतापगढ़।

5- मु0अ0सं0 76/23, धारा 457/380/411 भादवि, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

6- मु0अ0सं0 77/23, धारा 457/380/411/413 भादवि, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

7-मु0अ0सं0 109/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष श्रवण कुमार मय हमराह का० परविन्द कुमार, का० गौरव, चालक हे०का० राजाराम सिंह  
थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।

**प्रेस नोट दिनांक-25.11.2025**

**थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।**

नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के प्रकरण में नामजद वांछित अन्तर्जनपदीय अभियुक्त विमल पाण्डेय को कोतवाली नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

12 लाख रुपये की धोखाधड़ी मामले में वांछित अभियुक्त विमल पाण्डेय को पुलिस ने उसके घर के पास दबोचा

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त पर कमिश्नरेट लखनऊ, जनपद प्रतापगढ़ धोखाधड़ी, मारपीट, जालसाजी जैसे गंभीर अपराध दर्ज है-

नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख की ठगी मामले में अभियुक्त विमल पाण्डेय के विरुद्ध कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी बदायूँ द्वारा थाना कोतवाली नगर पर प्रार्थना पत्र दिया था कि अभियुक्त विमल पांडे पुत्र महेंद्र कुमार पांडे, निवासी जनपद प्रतापगढ़ द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में **RO/ARO** की नौकरी दिलाने का झूठा आश्वासन देकर उनसे कुल ₹12,00,000/- (₹5,00,000 ऑनलाइन ट्रांसफर एवं ₹7,00,000 नकद) की धनराशि हड़प ली गई। अभियुक्त द्वारा फर्जी दस्तावेज एवं जाली ज्वाइनिंग लेटर प्रदान कर उन्हें भ्रमित किया गया तथा बाद में बहानों से टालमटोल करता रहा। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 602/25 धारा 319 (2)/318 (4)/338/336 (3)/340 (2) बीएनएस बनाम 01 अभियुक्त विमल पांडे नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का0 रमाकान्त गौड द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 602/25 धारा 319 (2)/318 (4)/338/336 (3)/340 (2) बीएनएस थाना को0 नगर प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त विमल पाण्डेय पुत्र महेंद्र प्रताप पाण्डेय निवासी ग्राम पूरेईशवरनाथ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरेईशवरनाथ अभियुक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विमल पाण्डेय पुत्र महेंद्र प्रताप पाण्डेय निवासी ग्राम पूरेईशवरनाथ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 296/2024 धारा 316(2), 318, 351(3), 352 बीएनएस थाना हजरतगंज लखनऊ मध्य(कमिश्नरेट लखनऊ)।

02. मु0अ0सं0 230/2024 धारा 406, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

**03. मु0अ0सं0 602/25 धारा 319 (2)/318 (4)/338/336 (3)/340 (2) बीएनएस थाना को0 नगर प्रतापगढ़**

**पुलिस टीम का विवरण-**

**उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का0 रमाकान्त गौड थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।**

**प्रेस नोट दिनांक-25.11.2025**

**थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित **01** वांछित अभियुक्त कुणाल यादव उर्फ लकी यादव को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 नागेन्द्र खरवार व का० विलास यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 **596/25 धारा 87/137 (2) बीएनएस थाना को0 नगर प्रतापगढ़** से संबंधित **01** वांछित अभियुक्त कुणाल यादव उर्फ लकी यादव पुत्र चन्द्रजीत यादव निवासी चांदपुर, पो० राजगढ़ थाना देल्हूपुर प्रतापगढ़ उम्र करीब **21** वर्ष को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चांदपुर अभियुक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

**01. कुणाल यादव उर्फ लकी यादव पुत्र चन्द्रजीत यादव निवासी चांदपुर, पो० राजगढ़ थाना देल्हूपुर प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष ।**

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 नागेन्द्र खरवार व का0 विलास यादव थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

**प्रेस नोट दिनांक 25.11.2025**

**थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा दुकान पर जबरन निर्माण एवं मारपीट की घटना से संबंधित 01 अभियुक्त नियाजुद्दीन उर्फ टीपु गिरफ्तार

उक्त घटना में पूर्व में दिनांक 20.11.2025 को कुल 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तीन अदद मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई थीं

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी जैरामपुर, थाना रानीगंज द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 19.11.2025 को सुबह वादी अपनी दुकान पर बैठा था उसी समय विपक्षीय राजेन्द्र प्रसाद पटेल, असफाक अहमद, तब्बू उर्फ तबरेज, संतोष दूबे एवं अन्य अज्ञात व्यक्ति कई वाहनों से पहुंचकर वादी की दुकान की शटर तोड़ने तथा भूमि पर जबरन निर्माण का प्रयास कर रहे थे । मना करने पर उन्होंने वादी को गाली-गलौज करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । इस संबंध में थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 415/2025 धारा 191 (2), 191 (3), 190 119(1), 115 (2), 352, 351 (3), 324 (4) BNS बनाम 04 नामजद व कुछ लोग नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार

सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ०नि० अमित कुमार सिंह मय हमराह का० मनोज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 415/2025 धारा 191 (2), 191 (3), 190 119(1), 115 (2),352,351 (3),324 (4) BNS से संबंधित 01 अभियुक्त नियाजुद्दीन उर्फ टीपु पुत्र मुइनुद्दीन उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत चिरकुट्टी रेलवे अन्डर पास के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नियाजुद्दीन उर्फ टीपु पुत्र मुइनुद्दीन उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० अमित कुमार सिंह मय हमराह का० मनोज कुमार थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

**प्रेस नोट दिनांक 25.11.2025**

**थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़**

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़, मानिकपुर में चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री मनोज कुमार तोमर के

नेतृत्व में थाना संग्रामगढ़ के उ०नि० सुनील कुमार मय हमराह रामनिवास व थाना मानिकपुर के का० अजीत शर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 66/2025 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना संग्रामगढ़ से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त फिरोज पुत्र बबलू हत्था उम्र 21 वर्ष निवासी मिरगढ़वा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

**इनामिया अभियुक्त का विवरण-**

अभियुक्त फिरोज पुत्र बबलू हत्था उम्र 21 वर्ष निवासी मिरगढ़वा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

इनामिया अभियुक्त फिरोज पुत्र बबलू हत्था उम्र 21 वर्ष निवासी मिरगढ़वा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 134/24 धारा 305(A), 317(2) बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु०अ०सं० 169/24 धारा 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।
3. मु०अ०सं० 170/24 धारा 305, 331(4), 317(2), 317(4) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।
4. मु०अ०सं० 66/2025 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।
5. मु०अ०सं० 177/2024 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

**पुलिस टीम-**

उ०नि० सुनील कुमार मय हमराह रामनिवास थाना संग्रामगढ़ व का० अजीत शर्मा थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

**प्रेस नोट दिनांक 25.11.2025**

**थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ व्यापक अभियान—03 अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में लहन नष्ट

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 60 लीटर कच्ची शराब बरामद, 450 किलो लहन नष्ट

जनपद में नशा विरोधी अभियान को बड़ी सफलता—पूरे अली नकी गांव में पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 03 गिरफ्तार-

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा जनपद में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की रोकथाम हेतु संचालित विशेष अभियान के क्रम में, अ पर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय तथा क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी मानिकपुर श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 25.11.2025 को थाना मानिकपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पूरे अली नकी में संयुक्त पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से कुल 60 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब बरामद की गई। इसके अतिरिक्त मौके पर मौजूद लगभग 450 किलोग्राम अवैध लहन को नियमानुसार नष्ट कराया गया।

थाना मानिकपुर के उ0नि0 संतोष यादव मय हमराह का0 मनोज यादव व का0 दरवेश कुमार व म0का0 पिकी यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना परग्राम पूरे अली नकी के पास से 01 अभियुक्त हरीचन्द्र पुत्र सुखराम उम्र करीब 45 वर्ष नि0 पूरे अली नकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व



गिरफ्तारी के आधार पर थाना लालगंज परमु0अ0सं0 265/25 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना मानिकपुर के उ0नि0 अचिन्त्य शुक्ला मय हमराह का0 संदीप कुमार व का० हरवीर सिंह व म0का0 प्रीति द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम पूरे अली नकी के पास से 01 अभियुक्त रमेश सरोज पुत्र माताबदल उम्र करीब 28 वर्ष नि0 पूरे अली नकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना लालगंज परमु0अ0सं0 266/25 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना मानिकपुर के उ0नि0 मो0 नदीम खान मय हमराह हे0का0 राकेश कुमार, का० प्रवीण कुमार व म0का0 रितेश राणा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम पूरे अली नकी के पास से 01 अभियुक्त विरेन्द्र सरोज पुत्र स्व० असफलाल उम्र करीब 34 वर्ष नि0 पूरे अली नकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना लालगंज परमु0अ0सं0 267/25 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. हरीचन्द्र पुत्र सुखराम उम्र करीब 45 वर्ष नि0 पूरे अली नकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ ।
02. रमेश सरोज पुत्र माताबदल उम्र करीब 28 वर्ष नि0 पूरे अली नकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ ।
03. विरेन्द्र सरोज पुत्र स्व० असफलाल उम्र करीब 34 वर्ष नि0 पूरे अली नकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ ।

बरामदगी-

**01. कुल 60 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब बरामद ।**

**02. कुल 450 किलोग्राम अवैध लहन को नियमानुसार नष्ट कराया गया ।**

**पुलिस टीम का विवरण-**

उ0नि0 संतोष यादव मय हमराह का0 मनोज यादव व का० दरवेश कुमार व म0का0 पिकी यादव थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

उ0नि0 अचिन्त्य शुक्ला मय हमराह का0 संदीप कुमार व का० हरवीर सिंह व म0का0 प्रीति थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

उ0नि0 मो0 नदीम खान मय हमराह हे0का0 राकेश कुमार, का० प्रवीण कुमार व म0का0 रितेश राणा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

**बयान-**

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — **6307363107** पर दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

**प्रेस नोट दिनांक 25.11.2025**

**थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़**

निर्वाचन संबंधी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी — प्रतापगढ़ पुलिस की सख्त कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाए रखने तथा निर्वाचन संबंधी कार्यों में बाधा डालने वाले तत्वों के विरुद्ध सतर्कता एवं कठोरता के साथ कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 24.11.2025 को भाग संख्या 224, प्रा0वि0 बालीपुर, विकास खंड शिवगढ़ की B.L.O द्वारा थाना रानीगंज पर तहरीर दी गई कि ग्राम बालीपुर में निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित S.I.R सर्वे के दौरान आरोपीगण 1—इम्तियाज पुत्र फैयाज एवं 2—जीशान पुत्र तजम्मूल द्वारा वादिनी के साथ मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी दी गई तथा सर्वे के महत्वपूर्ण कागजात फाड़कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई।

उक्त घटना पर थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 419/25, धारा 121(1)/115(2)/352/351(3)/324(4) भा0द0सं0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल तथा क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उपनिरीक्षक गिरजा प्रसाद सिंह मय हमराह का0 योगेन्द्र सिंह द्वारा नामजद 01 अभियुक्त इम्तियाज अली (उम्र 24 वर्ष) पुत्र फैजान अली, निवासी बालीपुर, को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई है।

पुलिस टीम- उपनिरीक्षक गिरजा प्रसाद सिंह मय हमराह का0 योगेन्द्र सिंह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

बयान-

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन संबंधी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने, सरकारी कर्मचारियों के साथ अभद्रता अथवा किसी भी प्रकार की अवैध एवं आपराधिक हरकत करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।